चित्रकूट पुलिस

(1). "मिशन शक्ति फेज-5.0: का द्वितीय चरण महिलाओं की सुरक्षा व स्वावलंबन की नई पहल — जनपद चित्रकूट में महिला सुरक्षा, सम्मान, स्वालंबन, को समर्पित पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में जनपद के समस्त थानों की एण्टीरोमियों टीम द्वारा "मिशन शक्ति फेज-5.0 के द्वितीय चरण के तहत महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरुक किया गया तथा हेल्पलाइन नम्बरों व कानूनी प्रावधान के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई।

इस अभियान का मुख्य्य उद्देश्य महिलाओं/बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान एवं स्वावलंबन सुनिश्चित करना है-

1. जन-जागरूकता एवं शिकायत निस्तारण, स्कूल/कॉलेज, वर्किंग वूमेन हॉस्टल में जागरूकता कार्यक्रम, निम्न आय वर्ग बस्तियों, गांवों, वार्डों, मोहल्लों में चौपाल कार्यक्रम प्रमुख बाजारों, कस्बों व चौराहों पर जागरूकता व शिकायत निस्तारण।

2.महिला बीट पुलिस की भूमिका, प्रत्येक थाना क्षेत्र की महिला बीट पुलिस द्वारा जन-जागरूकता, साइबर अपराध से बचाव एवं साइबर हेल्पलाइन 1930 की जानकारी, महिला समस्याओं का त्वरित निस्तारण।

3.बालिकाओं एवं महिलाओं के लिए विशेष आत्मरक्षा प्रशिक्षण, गुड टच/बैड टच की जानकारी।

महिला/बालिकाओं को सुरक्षा सम्बन्धित सेवाएँ

1076 – मुख्यमंत्री हेल्पलाइन

1090 – वीमेन पावर लाइन

181 – वीमेन हेल्पलाइन

112 – पुलिस आपातकालीन सेवा

102 – गर्भवती महिलाओं एवं नवजात शिशुओं हेतु एम्बुलेंस

108 – सामान्य एम्बुलेंस सेवा

1098 – चाइल्ड लाइन

101 – अग्निशमन सेवा

1930 – साइबर हेल्पलाइन व www.cybercrime.gov.in के बारे में जानकारियां दी गई।

इस दौरान उपस्थित महिलाओं/बालिकाओं को अवगत कराया गया कि सभी थानों में महिलाओ की सुरक्षा/सहायता हेतु एक महिला हेल्पडेस्क बनाया गया है, जहाँ पर महिला पुलिसकर्मी द्वारा महिलाओं की शिकायत सुनी जाती है तथा समय से उनका निस्तारण किया जाता है। इसके साथ ही मौजूद महिलाओं/बालिकाओं को महिला सुरक्षा सम्बन्धी चलायी जा रही हेल्पलाइन नम्बरों के सम्बन्ध में पंपलेट वितरित करते हुए विस्तार से जानकारी देने के साथ ही सभी महिलाओं/बालिकाओं को हेल्पलाइन नम्बर का निर्भीक होकर उपयोग करने हेतु तथा महिलाओ को आत्मनिर्भर बनने व निर्भीक होकर अपने अपने क्षेत्र में कार्य करने/शिक्षा ग्रहण करने के लिये प्रेरित किया गया तथा सोशल मीडिया पर अपनी प्राइवेसी रखते हुये उसका प्रयोग करने के लिये कहा गया। इसी क्रम में महिलाओं/बालिकाओ को जनपद में गठित "एंटी रोमियो स्क्वायड" टीम के बारे में अवगत कराया गया तथा बताया गया कि सादे वस्त्रों में तथा प्राइवेट वाहनों से सार्वजनिक स्थलों, स्कूल, कालेज व कोचिंग संस्थान के आसपास व ऐसे स्थान जहाँ पर महिलाओ एवं बालिकाओ का अधिकतर आवागमन होता है उनको भौतिक रुप से चिन्हित कर शोहदो/मनचलो के द्वारा Eve Teasing इत्यादि आपत्तिजनक हरकतो को रोकने के उद्देश्य से सघन चेकिंग कर लोगो से पूछताछ की जाती है व अनावश्यक रुप से मौजूद शोहदों/मनचलो को हिदायत/कार्यवाही की जाती।

(2). आज दिनाँक 30.06.2026 को अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूषकांत राय द्वारा पुलिस लाइन्स चित्रकूट में मंगलवार की साप्ताहिक परेड की सलामी लेकर परेड का निरीक्षण किया गया । पुलिसकर्मियों को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ,तत्पर और अनुशासन बनाए रखने के लिए विभिन्न प्रकार के शारीरिक व्यायाम कराए गए, स्वास्थ्य के लाभ के लिए परेड की दौड़ करायी गयी तत्पश्चात पुलिस लाइन का जायजा लेकर प्रभारी प्रतिसार निरीक्षक को सुधार हेतु निर्देशित किया गया एवं परेड में शामिल अधिकारी/कर्मचारीगण को अनुशासन,एकरूपता और कर्तव्यनिष्ठा के संबंध में बताया गया। अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा परिवहन शाखा जाकर थानों से आयी समस्त चार/दो पहिया वाहनों,112 पीआरवी वाहन तथा परिवहन शाखा में रखे वाहनों का निरीक्षण कर प्रभारी परिवहन शाखा को वाहनों की कमियों को दूर करने हेतु निर्देशित किया गया तथा डायल 112 कार्यालय,आवास परिसर,बैरक,सीपीसी कैन्टीन,मंदिर,भोजनालय,ऑर्मरी का निरीक्षण किया गया साथ ही महोदय द्वारा रिक्रूट आरक्षियों से व्यवहारिक परीक्षण के सम्बन्ध में जानकारी ली गई।

(3). आज दिनाँक 30.06.2026 को पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह की अध्यक्षता में अपर पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री पीयूष कान्त राय की उपस्थिति में पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार में पुलिस विभाग में अपनी सेवा देकर अधिवर्षता पूर्ण करने वाले श्री विजय बहादुर सिंह,श्री नन्दलाल वर्मा, श्री रामबाबू वर्मा उ0नि0 सशस्त्र पुलिस एवं महिला मुख्य आरक्षी नागरिक पुलिस श्रीमती परवीन की विदाई समारोह का आयोजन किया गया। इस दौरान पुलिस अधीक्षक द्वारा सेवानिवृत्त हो रहे उपनिरीक्षक को माला पहनाकर, प्रशस्ति-पत्र एवं उपहार प्रदान कर भावभीनी विदाई दी गई एवं मौके पर उपस्थित अधिकारी/कर्मचारीगण को हल्का नास्ता करवाकर मुंह मीठा कराया गया। पुलिस अधीक्षक चित्रकूट द्वारा सेवानिवृत हो रहे उपनिरीक्षक से कहा गया कि आज का यह अवसर भावुक भी है और प्रेरणादायक भी । विदाई केवल एक औपचारिक नहीं,बल्कि उन यादों,अनुभवों और रिश्तों का सम्मान है जो हमने मिलकर बनाएं है। सेवानिवृत होकर घर जाकर अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें एवं निरन्तर व्यायाम करते रहें,जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक बनी रहें। पुलिस विभाग को दिया गया यह जीवन पुलिस विभाग आपका सदैव आभारी रहेगा। आपने जीवन का अमूल्य समय विभाग को दिया है, मैं समस्त पुलिस विभाग की ओर से आपके सुखद जीवन एवं परिवार की तरक्की की मनोकामना करता हूं। तथा अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा कहा गया कि आपके समर्पण,ईमानदारी,ड्यूटी के प्रति कर्तव्यशील और उत्कृष्ट कार्यों के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। आपके मार्गदर्शन और सहयोग से हमने बुत कुछ सीखा है। आपका स्नेह और प्रेरणा हमेशा हमारे साथ रहेगी।

इस दौरान प्रतिसार निरीक्षक श्री राम शीष यादव एवं अन्य अधिकारी/कर्मचारीगण उपस्थित रहे ।

(4). पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के कुशल निर्देशन में अपराध पर अंकुश लगाने हेतु अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध की जा रही कार्यवाही के क्रम में प्रभारी निरीक्षक मऊ श्री श्रीप्रकाश यादव के मार्गदर्शन में उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार वर्मा तथा उनकी टीम द्वारा दौराने देखभाल क्षेत्र में भ्रमण शील थे कि ग्राम अहिरी रोड पर दो व्यक्ति मोटरसाइकिल से एक राइफल 315 बोर लहराते हुये लालता रोड की तरफ जा रहे थे कि अभियुक्त 1.सुल्तान पुत्र बच्चा लाल 2.हरिश्चन्द्र पुत्र चुन्ना निवासीगण टिकरा सिरावल थाना राजापुर जनपद चित्रकूट को 01 अदद लाइफल 315 बोर लाइसेन्सी, 05 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर लाइसेन्सी एवं बिना नम्बर हीरो स्प्लेण्डर प्लस मोटर साइकिल के साथ गिरफ्तार किया गया । अभियुक्तों ने पूंछताछ में बताया कि यह लाइसेंसी राइफल उनके जानने वाले ग्राम मवई थाना मऊ जनपद चित्रकूट के ठाकुर साहब की है। अभियुक्तों के विरुद्ध थाना मऊ में मु0अ0सं0 230/2026 धारा 30 आयुध अधिनियम बनाम 1.सुल्तान पुत्र बच्चा लाल 2.हरिश्चन्द्र पुत्र चुन्ना निवासीगण टिकरा सिरावल थाना राजापुर जनपद

चित्रकूट 3. राइफल 315 बोर का लाइसेंस धारक ठाकुर साहब नाम अज्ञात निवासी ग्राम मवई थाना मऊ जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया एवं मोटर साइकिल उपरोक्त को 207 एम वी एक्ट में सीज किया गया।

बरामदगीः-

01 अदद राइफल 315 बोर लाइसेन्सी

05 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर लाइसेन्सी

01 अदद हीरो स्प्लेण्डर मोटर साइकिल(बिना नम्बर)

गिरफ्तारी करने वाली टीमः-

1.उ0नि0 श्री अभिषेक कुमार वर्मा

2.उ0नि0 अनिल कुमार

3.रि0आरक्षी हिमांशू

4.चालक मुख्य आरक्षी बृजेश यादव

(5). आज दिनांक 30.06.2026 को श्रीमान पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में,अपर पुलिस अधीक्षक श्री पीयूष कान्त राय की अध्यक्षता में SJPU व A.H.T.U की मासिक समीक्षा बैठक पुलिस कार्यालय स्थित राघव प्रेक्षागार मे कक्ष मे आहूत की गयी। जिसमें मुख्य चिकित्साधिकारी श्री महेन्द्र कुमार जटार्या,संयुक्तनिदेशक अभियोजन अधिकारी पीयूष कुमार सिंह यादव, बाल श्रम अधिकारी कार्यालय श्री महेन्द्र कुमार, बाल कल्याण अधिकारी श्री सौरभ सिंह, अध्यक्ष बाल कल्याण समिति श्री राजेश दुबे,विवेक शुक्ला, प्रभारी एएचटीयू श्री शिवमूरत यादव,जनकल्याण शिक्षण प्रसार समिति श्री शंकर दयाल,वन स्टॉप सेन्टर प्रभारी एवं सभी थाने से सम्वन्धित बाल कल्याण अधिकारी/कर्म0गण व अन्य विभागों के अधिकारीगण शामिल हुए जिसमें पूर्व में जारी किए गए कार्यवृत् का अनुपालन के संबंध में चर्चा की गई। उपस्थित अन्य अधिकारी गण द्वारा अनुसंधान एवं थानों पर नियुक्त बाल कल्याण पुलिस अधिकारी के समक्ष आ रही समस्या, एवं सुझाव पीड़ितों के अश्वासन, बाल गुमशुदा, बाल श्रम, नशा मुक्त अभियान, बाल विवाह, बाल भिक्षावृत्ति की रोकथाम, लैंगिक समानता, नारी शक्ति किशोर न्याय अधिनियम 2015 मे हुए नवीनतम संशोधन पोस्को को एक्ट के अभियोग पंजीकृत होने के 24 घंटे के अंदर सीडब्ल्यूसी को सूचित करना, पॉस्को के मामले में फार्म ए व बी पुलिस द्वारा भरकर संबंधित को समय से भेजा जाना। बाल कल्याण अधिकारी के कर्तव्य का पालन, जे.जे एक्ट के अंतर्गत सामाजिक पृष्ठभूमि, किशोर न्याय बोर्ड में पुलिस अधिकारियों रिमांड लेने हेतु सादे वस्त्रों में आने, जे.जे एक्ट की धारा 24 आदि तथा पोक्सो एक्ट से संबंधित अभियुक्तों की माननीय उच्च न्यायालय से प्राप्त बेल नोटिस को बाल कल्याण समिति एवं वादी /पीड़िता को अंदर समय उपलब्ध कराने के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की गई , महिला एवं बाल सुरक्षा संगठन मुख्यालय लखनऊ से जारी बालश्रम ,बाल भिक्षावृत्ति, बाल विवाह 100 दिवसीय विशेष अभियान व बाल विवाह की रोकथाम हेतु सपथ दिलाई गयी। तस्करी रोकथाम कार्यशाला का आयोजन किया गया तथा जन जागरूकता अभियान चलाने हेतु सभी को निर्देशित किया गया।

(6). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 महोदय के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक पहाड़ी श्री निशिकान्त राय एवं पैरोकार आरक्षी आकाश कुमार व प्रभारी मॉनिटरिंग सेल उ0नि0 श्री प्रभूनाथ यादव व उनकी टीम द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री अजय कुमार सिंह द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम/स्पेशल एनडीपीएस एक्ट चित्रकूट श्री राहुल मिश्रा द्वारा आज दिनाँक

30.06.2026 को पुलिस मुख्यालय से पैरवी हेतु चिन्हित एवं थाना पहाड़ी में पंजीकृत मु0अ0सं0 108/2018 धारा 302/34,201 भा0द0वि0 के आरोपी अभियुक्त 1. टुल्लू लोध पुत्र लुसुरूवा व अभियुक्ता 2.माया देवी पत्नी स्व0 शिवलोचन विश्वकर्मा निवासीगण लोहदा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट को आजीवन कारावास व 14,000/-14000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

<u>संक्षिप्त विवरण-</u>

उल्लेखनीय है कि दिनांक 07.07.2018 को वादी मूलचन्द्र विश्वकर्मा पुत्र स्व0 चुन्नू विश्वकर्मा निवासी लोहदा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट द्वारा सूचना दी गयी थी कि अभियुक्ता माया देवी द्वारा अपने प्रेमी टुल्लू लोध के साथ मिलकर नयलान की रस्सी से वादी के बड़े भाई शिवलोचन उम्र 38 वर्ष के गले को बाधकर हत्या कर देना तथा अपने ही घर में शव को छिपाने हेतु गड्ढा खोदकर दफन कर देना । इस सूचना पर थाना पहाड़ी में मु0अ0सं0 108/2018 धारा 302/34,201 भा0द0वि0 बनाम 1. टुल्लू लोध पुत्र लुसुरूवा व अभियुक्ता 2.माया देवी पत्नी शिवलोचन विश्वकर्मा निवासीगण लोहदा थाना पहाड़ी जनपद चित्रकूट पंजीकृत किया गया था। जिसकी विवेचना तत्कालीन निरीक्षक श्री उदयवीर सिंह द्वारा सम्पादित की गयी थी विवेचना के क्रम में अभियुक्तों को दिनांक 15.07.2018 को गिरफ्तार करते हुए दिनाँक 10.10.2018 को आरोप पत्र माननीय न्यायालय प्रेषित किया गया था।

(7). पुलिस महानिदेशक उ0प्र0 के निर्देशन में चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत माननीय न्यायालय में लम्बित चल रहे वादों में गहन पैरवी कर अपराधियों को अधिक से अधिक सजा कराने हेतु पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह द्वारा दिये गये निर्देशों के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षक मानिकपुर श्री अजीत कुमार पाण्डेय एवं पैरोकार मुख्य आरक्षी अजय कुमार द्वारा की गयी गहन पैरवी एवं सहायक अभियोजन अधिकारी आकाश साहू द्वारा की गयी प्रभावी प्रस्तुति एवं प्रभावी बहस के फलस्वरूप माननीय न्यायालय जे0एम0 द्वितीय श्री अभिनव कुमार दुबे द्वारा आज दिनाँक 30.06.2026 को थाना मानिकपुर में पंजीकृत मु0अ0सं0 6632019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम के आरोपी अभियुक्त छोटा उर्फ छोटू पुत्र मंगलवा निवासी सकरौहा थाना मानिकपुर जनपद चित्रकूट को जेल में बितायी गई अवधि व 300/- रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया।

(8). पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय चलाये जा रहे मादक पदार्थों का विनष्टीकरण/निस्तारण “ऑपरेशन दहन” के क्रम में माननीय न्यायालय एन0डी0पी0एस0 एक्ट/अपर सत्र कोर्ट चित्रकूट के आदेश के अनुपालन में पुलिस अधीक्षक चित्रकूट श्री अरुण कुमार सिंह के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी नगर श्री सतेन्द्र सिंह (जिला ड्रग डिस्पोजल कमेटी सदस्य) की उपस्थिति में थाना मानिकपुर के कुल 05 मुकदमों के 15.660 किलोग्राम नाजायज गांजा का विनष्टीकरण किया गया